Title : Need to increase the M.P's quota for admission in Kendriya Vidyalayas.

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों के प्रवेश से संबंधित विषय को माननीय मानव विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। महोदया, जब केन्द्रीय विद्यालय संगठन बना था तब प्रत्येक सांसद को हर साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशेष छूट के अंतर्गत 2 छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने का प्रावधान किया गया था जो कि अभी तक लागू है। महोदया, अब इस नियम को बदलने की जरूरत है। वर्तमान में छात्रों की संख्या के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालयों की राज्यवार संख्या बढ़ती जा रही है।

महोदया, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश हेतु छूट दी गई है, उसे तहसीलवार किया जाये और इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये एवं प्रत्येक सांसद को विशेष छूट के अंतर्गत तहसीलवार दो छात्रों का प्रवेश दिलाने हेतु नियम बनाएं। बहुत से माननीय सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जिसके कारण माननीय सांसद उस विशेष छूट का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि इस नियम में बदलाव करके ऐसे माननीय सांसदों का जिनके निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, को विशेÂष छूट के अंतर्गत देश में या अपने राज्य में कहीं भी प्रवेश दिलाने की छूट प्राप्त हो।